

मुन्तकिली प्रकरण सं० 58/2015 अनवानी राजविन्द्र कौर पुत्री परमजीत सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 3 एसटीआर घड़साना जिला श्रीगंगानगर बनाम 1- उपखण्ड मजि० रायसिंहनगर 2-सुखवीरसिंह पुत्र संतोख सिंह जाति कश्मीरी ब्राम्हण निवासी 3 एसटीआर वार्ड सं० 8 नई मण्डी घड़साना

29.06.2016

प्रार्थीया का अभिभाषक श्री कुलविन्द्र सिंह उपस्थित हैं। अप्रार्थी उपस्थित नहीं है। प्रार्थीया के अभिभाषक को सुना गया एवं पत्रावली को अवलोकन किया गया।



प्रार्थीया ने यह मुन्तकिली प्रा० पत्र उपजिला मजि०, रायसिंहनगर के न्यायालय में लंबित प्रकरण संख्या 14/2105 अनवानी सुखवीरसिंह बनाम राजविन्द्रकौर धारा 97-98 सीआरपीसी में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने के लिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 411 सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपजिला मजि०, रायसिंहनगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये हैं। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा० पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन हो गया है और खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रा० पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपजिला मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.06.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

1211
4-7-14